HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2064/2026

Banwari Lal S/o Kalyan, Aged About 25 Years, R/o Bapui, Police Station Mitrapura, District Sawai Madhopur. (At Present Confined In District Jail Sawai Madhopur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Govind Prasad Rawat
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

25/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना मित्रपुरा, जिला–सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 11/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66सी, 66डी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है, प्रार्थी ने किसी भी व्यक्ति के साथ साईबर ठगी कारित नहीं की है। उनका तर्क है कि प्रार्थी दिनांक 16.01.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर ऑनलाईन ठगी करने का आक्षेप है तथा इस संबंध में 05 शिकायतें साईबर पोर्टल पर दर्ज है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की

गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 319(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66सी, 66डी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी–अभियुक्त पर अनजान लोगों के साथ साईबर ठगी कारित करने का आक्षेप है। प्रकरण में अन्वेषण के दौरान यह प्रकट हुआ है कि प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा मोबाईल नंबर 7851847576 के जरिये लोगों को पैसा दुगना करने तथा विज्ञापन व पोस्ट शेयर कर सोशल साईट से राशि कमाने का झांसा देते हुए उनसे साईबर ठगी की जाती थी तथा ठगी की राशि अपने खाता संख्या 269601000006846 इण्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा बपुई में प्राप्त की जाती थी। प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से जो मोबाईल नंबर बरामद हुआ है, **उसके संबंध में साईबर पोर्टल पर धोखाधड़ी की छः शिकायतें दर्ज होना पाया गया है।** पत्रावली पर शिकायत दर्ज करवाने वाले व्यक्ति विजेश कुमार के कथन व उसका बैंक खाता विवरण भी उपलब्ध है, जिसके अनुसार पीड़ित के खाते से प्रार्थी–अभियुक्त के बैंक खाते में राशि जमा होने का इन्द्राज है।

वर्तमान् में ऑनलाईन ठगी के अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है तथा इन अपराधों में लिप्त अभियुक्तगण एक–दूसरे के सम्पर्क व सहयोग में होते हैं और अपराध में सभी अभियुक्तगण की अपनी–अपनी सक्रिय भूमिका होती है, जो अपने कृत्य द्वारा अपराध को सुगम (facilitate) बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार सभी अभियुक्तगण संगठित आपराधिक गिरोह के रूप में कार्य करते हैं और अनजान लोगों से ऑनलाईन ठगी कारित कर राशि प्राप्त करते हैं। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

VISHAL SHARMA /50